

**सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 से सम्बन्धित–
17 बिन्दुओं की सूचना परिक्षेत्र झॉसी।**

1- परिक्षेत्र स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत एक प्रकोष्ठ का गठन किया गया जहाँ जिसमें एक जनसूचना अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ सहायक जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति की गयी है।

2-जनसूचना अधिकारी की शक्तियों/कार्य:- जनसूचना अधिकारी द्वारा व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचनाओं को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।

3-प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण एवं सम्बन्धित जनपदों को सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 की धारा-6(3) के अन्तर्गत अन्तरित करना या सूचनाएँ प्राप्त कर सम्बन्धित को निर्धारित समय में उपलब्ध कराना।

4-विहित सीमा के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त करना और समय से आवेदक को सूचना उपलब्ध कराना।

5-सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन करना/कराना।

6-दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है।

- 1- कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- 2- पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- 3- शासन/अन्य से प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- 4- अपीलिय प्रार्थना पत्र।

7- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

8- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

9- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत दिये गये नियमों का अनुपालन किया जाता है।

10- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

11- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

12- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

13- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


14- समस्त सूचनाएँ नियमानुसार कम्प्यूटर में अद्यतन की जाती हैं।

15- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

16- परिक्षेत्र स्तर पर जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी के पद नाम एवं कार्यों का विवरण:-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कार्य
1	श्री माता प्रसाद एसआई(एम)	प्रधान लिपिक/ जन सूचना अधिकारी	व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा मांगी गयी सूचना को अधीनस्थ जनपदों से प्राप्त कर सम्बन्धित को उपलब्ध कराना एवं सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपदों को अन्तरित किया जाना।
2	श्री शिव मंगल सिंह	आरक्षी ना०पु०	समस्त अभिलेखों का रखरखाव करना आलेख प्रस्तुत करना अनुस्मारक निर्गत करना एवं समस्त दस्तावेजों को कम्प्यूटर में अद्यतन करना।

17- सुसंगत नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।


20/12/18
प्रधान लिपिक/जनसूचना अधिकारी
कार्यालय पुलिस उपमहानिरीक्षक,
झोंसी परिक्षेत्र, उ० प्र०, झोंसी।